

कार्यालय, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद

आदेश सं० /शि०स० /सम्बद्धता /

169

/2013-14

दिनांक २७-५-१३

कार्यालय ज्ञाप

शासनादेश सं० 1148 /15-11-2013 शिक्षा अनुभाग-11 लखनऊ दिनांक 26 अप्रैल 2013 के अनुपालन में विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान, प्लाट नं० 548, 549 रहमत नगर, मनिशम, सदर, गोरखपुर को शासन द्वारा सम्पूर्ण विचारोपरान्त राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा दो वर्षीय बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु दी गयी मान्यता विषयक निर्गत आदेश में अंकित शर्तों तथा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिवन्धों के अधीन शैक्षिक सत्र 2012-13 से सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-

1. संस्थान द्वारा लगातार प्रामूल एवं सुरक्षित कोष को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय-समय पर संशोधित मानकों के अनुसार नवीनीकृत एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पक्ष में बन्धक रखना होगा।
2. जिन मानकों एवं शर्तों के अधीन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता एवं राज्य सरकार द्वारा सम्बद्धीकरण दिया गया है उसमें राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना संस्था द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। संस्था पर एन०सी०टी०इ०० तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बनाए जाने वाले नियम लागू होंगे।
3. नेशनल विलिंग कौड के अनुसार भवन की उपयुक्तता एवं अभिनशाम से सम्बन्धित उपायों को संस्थान द्वारा मानकों के अनुसार संदर्भ सुनिश्चित किया जायेगा।
4. प्रशिक्षणार्थीयों हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गयी प्रवेश प्रक्रिया, आरक्षण के नियम, परीक्षा शुल्क, अन्य कोई भी छार्ज, परीक्षा की समय-सारणी तथा पाठ्यक्रम संस्थान पर बाध्यकारी होगा।
5. सम्बद्धता निर्गत होने के दो माह की अवधि में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानक के अनुसार विधिवत् चयनित संकाय सदस्यों का अनुमोदन संचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा। संकाय सदस्यों के बायोडाटा एवं अन्य समर्त प्रमाण पत्रों तथा अन्य सूचनाओं को अनुमोदन हेतु संचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। यह अभिलेख स्थायी अभिलेख होंगे, जिन्हें संचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा स्थायी रूप से रखा जायेगा।
6. संस्थान द्वारा अपनी वेबसाइट राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की वेबसाइट के साथ हाइपरलिंक रखी जाएगी तथा अपेक्षित सूचनाओं का उल्लेख/अपडेट वेबसाइट पर किया जायेगा।
7. प्रश्नगत संस्था को राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 17 एवं 18 अप्रैल 2013 के कार्यवृत्त में की गयी संस्तुति के आधार पर बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु शैक्षिक सत्र 2012-13 से 50 सीटों की सम्बद्धता प्रदान की जा रही है।

उपरोक्त सम्बद्धता भूमि भवन आदि के सम्बन्ध में एन०सी०टी०इ०० के दिशा निर्देशों के अधीन होगी।

मै
श्रीमती (नीना श्रीवास्तव)

संचिव

परीक्षा नियामक प्राधिकारी

उ०प्र०, इलाहाबाद।

पू०सं० /शि०स० /सम्बद्धता / १९९४-२००६ /2013-14 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. संचिव, बैसिक शिक्षा, उ०प्र०, शासन लखनऊ।
2. विशेष संचिव, उ०प्र०शासन, शिक्षा अनुभाग -11 लखनऊ।
3. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उ०प्र०, लखनऊ।
4. शिक्षा निदेशक, बैसिक, उ०प्र०, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, 20/198, कावेरी पथ मानसरोवर रेडियम के पास, मानसरोवर जयपुर।
6. संयुक्त शिक्षा निदेशक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
7. प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, गोरखपुर।
8. संचिव/प्रबन्धक, विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान, प्लाट नं० 548, 549 रहमत नगर, मनिशम, सदर, गोरखपुर।
9. गार्ड फाइल।

मै
श्रीमती (नीना श्रीवास्तव)

संचिव

परीक्षा नियामक प्राधिकारी

उ०प्र०, इलाहाबाद।